झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

अधि0 सं0–8/गठन/108/2016/न0वि0आ0–5461 राँची, दिनांक–23/08/17

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 (झारखण्ड अधिनियम–07, 2012) की धारा–3 की उपधारा–(2)(स) धारा–4,5,6 एवं 8 की उपधारा (3) में किये गये प्रावधान के आलोक में पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत जुगसलाई नगरपालिका के मूल रूप को मिलाकर विभागीय अधिसूचना संख्या–5337 दिनांक–17.08.2017 के द्वारा **जुगसलाई नगर परिषद, वर्ग 'ख'** का गठन किया गया है।

2. झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 (झारखण्ड अधिनियम–07, 2012) की धारा–15 की उपधारा–(2)(क) के परन्तुक में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा पार्षदों की संख्या का निर्धारण अंतिम पूर्ववर्त्ती जनगणना, जिसके सुसंगत आँकड़े प्रकाशित हो चुके हों, के आधार पर अवधारित करेगी।

3. झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली, 2012 के नियम–3 का उपनियम (1)(ii) क्रमांक 1 में नगर परिषद, वर्ग–'ख' में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डो) के गठन का प्रावधान है। उक्त प्रावधान के आलोक में प्रथम 40,000 की जनसंख्या पर वार्डो की न्यूनतम संख्या 20 होगी। इसके पश्चात् प्रत्येक 6000 की जनसंख्या पर 01 (एक) अतिरिक्त प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) के गठन का प्रावधान है।

4. उपर्युक्त कंडिका से स्वतः स्पष्ट है कि पार्षदों की संख्या का अवधारण एवं प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड) की संख्या का विनिश्चिय स्वाभाविक रूप से एक–दूसरे के पूरक हैं।

उक्त प्रावधान के आलोक में जुगसलाई नगर परिषद, वर्ग 'ख' क्षेत्रान्तर्गत पार्षदों की संख्या/प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डो) की संख्या का अवधारण निम्न रूपेण किया जाता है:–

जिला	नगरपालिका क्षेत्र का नाम	जनगणना, 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या	मानक जनसंख्या के आधार पर वार्डोकी न्यूनतम संख्या		अवशेष जनसंख्या के आधार पर अनुमान्य वार्डो की संख्या				कुल वार्डो की संख्या
			मानक जनसंख्या	मानक वार्डो की संख्या	अवशेष जनसंख्या	अतिरिक्त प्रत्येक वार्ड के गठन हेतु विनिर्धारित जनसंख्या	प्रतिशत / अनुपात	वार्डो की संख्या	
पूर्वी सिंहभूम	जुगसलाई नगर परिषद, वर्ग 'ख'	49660	40000	20	9660	6000	1.61	2	22

5. उपर्युक्त अवधारण के आलोक में झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली–2012 के अध्याय 2, नियम 3 के तहत् 2011 की जनगणना के आँकड़ों के आधार पर **जुगसलाई नगर परिषद, वर्ग 'ख'** में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डो) की संख्या 22 एवं पार्षदों की संख्या भी 22 निर्धारित की जाती है।

6. उक्त अवधारण का प्रभाव उपर्युक्त नगर परिषद क्षेत्र पर तब तक नहीं पड़ेगा जब तक आम निर्वाचन के पश्चात् उनकी प्रथम बैठक हेतु नियत तिथि से पाँच वर्ष तक का कार्यकाल समाप्त न हो जाए।

(2)

7. उक्त पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

8. यह अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रवृत्त होगी।

झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से,

(अरुण कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–8/गठन/108/2016/न0वि0आ0–5461 राँची, दिनांक–23/08/17

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची/नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, नगर विकास एवं आवास विभाग झारखण्ड, राँची को असाधरण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. प्रकाशनोपरान्त अधिसूचना की 200 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–8/गठन/108/2016/न0वि0आ0–5461 राँची, दिनांक–23/08/17

प्रतिलिपिः–महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–8/गठन/108/2016/न0वि0आ0–5461 राँची, दिनांक–23/08/17

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/प्रमण्डलीय आयुक्त, कोल्हान प्रमण्डल/उपायुक्त, जमशेदपुर/निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय, झारखण्ड, राँची/निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण, झारखण्ड, राँची/कार्यपालक पदाधिकारी, जुगसलाई नगर परिषद/सभी पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–8/गठन/108/2016/न0वि0आ0–5461 राँची, दिनांक–23/08/17

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, सभी प्रशाखा–1 (स्थापना), प्रशाखा–2 (बजट), प्रशाखा–5 (योजना), नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को इस निदेश के साथ प्रेषित कि उक्त नगर निकाय के संदर्भ में पदसृजन, बजट आवंटन एवं योजना कार्यान्वयन संबंधी आवश्यक एवं समुचित कार्रवाई की जाय।

सरकार के प्रधान सचिव।